

पत्र संख्या
सेवा में,

440 / 16/10

दिनांक 17/02/2025

उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग।

विषय-

जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी घनसाली तिलवाडा मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना नगेला मेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव घुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/39452/2019)

सन्दर्भ-

भारत सरकार का पत्र संख्या 8बी/यूसीपी/06/04/2021/एफसी/1564 दिनांक 16.02.2022, नोडल अधिकारी का पत्र संख्या 694/1जी-5057(सैद्धा0स्वी0अनु0) देहरादून दिनांक 09.09.2022 एवं आपका पत्र संख्या 1260/12-1(2) दिनांक 11.10.2022 एवं

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों द्वारा चाही गयी दो बिन्दुओं की सूचना दिनांक 17.02.2025 को परिवेश पोर्टल पर ऑन लाइन अपलोड कर दी गयी है। जो कि पार्ट-11 के पैरा संख्या 21 में प्रदर्शित हो रहा है (प्रति संलग्न)। हार्ड कापी उप वन संरक्षक रुद्रप्रयाग वन प्रभाग के पत्र संख्या 60/12-1(2) दिनांक 05.07.2022 द्वारा पूर्व में ही वन संरक्षक, पौड़ी को प्रेषित की जा चुकी है।

अतः प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संलग्न - उपरोक्तानुसार)

(इं0 इन्द्रजीत बोस)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि-

1. नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग



कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक :- 60 /12-1(2)

दिनांक 05/07 /2022::

सेवा में

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय :- जनपद-रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी घनसाली मोटर मार्ग के फतेह से रा0इ0का0 बुढना-नगेला-भेत-एकलिंग-कण्डवालगांव-सुनारगांव-धुराणगांव होते हुए धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.750 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39452/2019

सन्दर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-8बी./यू.सी.पी./06/04/2021/एफ.सी./1564 दिनांक 16.02.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में भारत सरकार स्तर से चाही गई 02 बिन्दुओं की बिन्दुवार आख्या (प्रश्न एवं उत्तर कॉलम बनाकर) निम्न प्रकार प्रेषित है।

बिन्दु सं.	प्रश्न	उत्तर
1	राज्य सरकार खतौनी के विवरण के दस्तावेजों की मूल प्रति इस कार्यालय में प्रदाय करें।	खतौनी के विवरण के दस्तावेजों की मूल प्रति सहित चार प्रतियां संलग्न हैं। संलग्नक-1
2	बिन्दु क्र-3(ख) के सापेक्ष में हालांकि CA हेतु चयनित क्षेत्र का वन विभाग के पक्ष में mutation कर लिया गया है, किन्तु IFA, 1927 के प्रावधानों के अनुसार आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित नहीं हुआ है। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मंत्रालय द्वारा दिये गये दिशानिर्देश के पैरा 2.4(i) के अनुसार इस दशा में विधिवत् स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकती है। अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह विधिवत् स्वीकृति से पूर्व भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में कृपया अधिसूचित करना सुनिश्चित करें।	भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र (सिविल और सोयम भूमि) को आरक्षित वन/संरक्षित वन के रूप में अधिसूचित करने हेतु संबंधित अधिसूचना का ड्राफ्ट तैयार कर एवं चयनित क्षेत्र के डिजिटल/टोपोग्राफी मानचित्र चार प्रतियों में संलग्न कर इस कार्यालय के पत्रांक-15/12-1(2) दिनांक 02.07.2022 के द्वारा आपको प्रेषित किये गये हैं। संलग्नक-2

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार। (मूल सहित चार प्रतियों में)

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- 60 /दिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।।

o/c

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

:: आदेश ::

अधिशाली अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग के पत्रांक-3123/16C दिनांक 25-08-2021 के द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार के पत्र संख्या-8बी/यूसीपी/06/04/2021/एफ0सी0/2205 दिनांक 29-01-2021 द्वारा उक्त मोटर मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त मार्ग के निर्माण के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 3.50 हे० सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण व नामान्तरित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उप जिलाधिकारी जखोली द्वारा तहसीलदार जखोली के पत्र संख्या-61/र0का0-2020-21 दिनांक 30 मार्च, 2021 को अग्रसारित करते हुये अवगत कराया गया है कि जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेहू से रा०इ०का० बुढना नगला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव, घुराणगांव होते हुये धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बुढना के ग्राम बुढना के खतौनी खाता संख्या- 103 के खसरा संख्या-1 रकवा 1.829 है०, खसरा संख्या 3 करवा 1.196 है० तथा खसरा संख्या- 6 रकवा 0.870 है० मध्ये 0.475 है० कुल 3.500 है० भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित की गयी है।

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया है कि संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम बुढना, खाता संख्या- 103 के खसरा संख्या-1 रकवा 1.829 है०, खसरा संख्या 3 करवा 1.196 है० तथा खसरा संख्या- 6 रकवा 0.870 है० मध्ये 0.475 है० कुल 3.500 है० सिविल भूमि चयनित की गई थी। प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रकरण के ऑनलाईन पैरा-L, में खसरा संख्या के बजाय खाता संख्या- 103 अंकित किया गया है, जबकि अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों में उक्त तीन खसरे अंकित हैं तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा भी प्रकरण के ऑनलाईन पैरा-L के अनुसार ही सैद्धान्तिक स्वीकृति में खसरा संख्या- 103 दर्शाया गया है। वन विभाग द्वारा उक्त प्रकरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित ग्राम बुढना के खतौनी खाता संख्या- 103, खसरा संख्या-1 रकवा 1.829 है०, खसरा संख्या 3 करवा 1.196 है० तथा खसरा संख्या- 6 रकवा 0.870 है० मध्ये 0.475 है० कुल 3.500 है० सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में म्यूटेशन/अमलदरामद करने का अनुरोध किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या- 2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये, तहसीलदार/ उपजिलाधिकारी, जखोली द्वारा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र बुढना के अन्तर्गत ग्राम बुढना की ज०वि०र० खतौनी की श्रेणी 9(3) ड बंजर के खतौनी खाता संख्या- 103, खसरा संख्या-1 रकवा 1.829 है०, खसरा संख्या 3 करवा 1.196 है० तथा खसरा संख्या- 6 रकवा 0.870 है० मध्ये 0.475 है० कुल 3.500 है० सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

दिनांक-02-10-2021

ह०/-
(मनुज गोयल)
जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

कार्यालय जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग ।

संख्या- 48

/छब्बीस-10/2020-21/ दिनांक: रुद्रप्रयाग: 04 अक्टूबर,

2021

प्रतिलिपि:-

1-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
अपर प्रमुख वन संरक्षक, नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्द्रानगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड, देहरादून ।

2-

सचिव, राजस्व विभाग अनुभाग-02 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

3-

अपर सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग-04 उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

4-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तराखण्ड, देहरादून ।

5-

आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी ।

6-

उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग ।

7-

उप जिलाधिकारी / तहसीलदार जखोली को नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र खतौनी
की नकल लोक निर्माण विभाग एवं इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित ।

8-

अधिशारी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, रुद्रप्रयाग ।


अपर, जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग ।


444
रुद्रप्रयाग अभियन्ता
प्रान्तीय लोक निर्माण विभाग
रुद्रप्रयाग

कार्यालय जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग।

संख्या- 1612/26-10(2020-21) दिनांक रुद्रप्रयाग दिसम्बर, 27 2021

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रुद्रप्रयाग।

विषय:- ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)इ बंजर के खतौनी खाता संख्या-
103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के आदेश 48/छब्बीस-10/2020-21 दिनांक 04 अक्टूबर, 2021 के द्वारा जिला योजना के अन्तर्गत टिहरी-घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढना नगेला भेंट एकलिंग कण्डवालगांव सुनारगांव, घुशणगांव होते हुये धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 हे0 भूमि के एवज में ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी खाता संख्या- 103 के खसरा नं0- 1 रक्वा 1.829 हे0, खसरा नं0- 3 रक्वा 1.196 हे0 तथा खसरा नं0-6 रक्वा 0.870 हे0 मध्ये 0.475 हे0 कुल रक्वा 3.500 हे0 चयनित/प्रस्तावित भूमि उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग के नाम क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित/नामान्तरित कर अमलदरामद करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उक्त आदेश के क्रम में तहसीलदार जखोली द्वारा अपने पत्र संख्या- 54/र0का0- अमलदरामद/ 2021-22 दिनांक 21 दिसम्बर, 2021 के क्रम में अवगत कराया गया है कि रा0उ0नि0 बुढना द्वारा ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी के खतौनी खाता संख्या- 103 के खसरा नं0- 1 रक्वा 1.829 हे0, खसरा नं0- 3 रक्वा 1.196 हे0 तथा खसरा नं0-6 रक्वा 0.870 हे0 मध्ये 0.475 हे0 कुल रक्वा 3.500 हे0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किया गया है।

अतएव उक्त ज0वि0र0 खतौनी की नकल की छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(दीपेन्द्र सिंह नेगी)
अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- अधि.अभि., प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।
- 2- उप जिलाधिकारी जखोली।

अपर जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
जिलाधिकारी

29-12-2021

सहायक अभियन्ता
प्र0वि0लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

मूल प्रती

PNJ 2021/17114-15
27/12/2021 J.E. L.A.C.

(29)

प्रेषक,

तहसीलदार,
जखोली।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
रुद्रप्रयाग।

J.S.
D.M.
27/12/21

संख्या :- 54 / र0का0-अमलदरामद / 2021-22 दिनांक 21, दिसम्बर, 2021

विषय :- ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक जिला कार्यालय रुद्रप्रयाग के पत्र संख्या-48/छब्बीस-10/ 2020-21 दिनांक : रुद्रप्रयाग : 04 अक्टूबर, 2021 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ग्राम बुढना की ज0वि0र0 खतौनी की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 में वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किये जाने के सम्बन्ध में है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि राजस्व उप निरीक्षक बुढना द्वारा ग्राम बुढना रा0उ0नि0 बुढना तहसील जखोली जनपद रुद्रप्रयाग की ज0वि0र0 खतौनी खाता की श्रेणी 9(3)ड़ बंजर के खतौनी खाता संख्या-103 के खसरा संख्या-1 रकवा 1.829 है0, खसरा संख्या-3 रकवा 1.196 है0 तथा खसरा संख्या-6 रकवा 0.870 है0 मध्ये रकवा 0.475 है0 अर्थात् कुल 3.500 है0 सिविल सोयम भूमि भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरित कर अमलदरामद किया गया, खतौनी की नकल, मय नक्शा संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार आख्या अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

मुख्य सचिव

देव

सहायक अधिवक्ता
प्रखण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

तहसीलदार
जखोली।

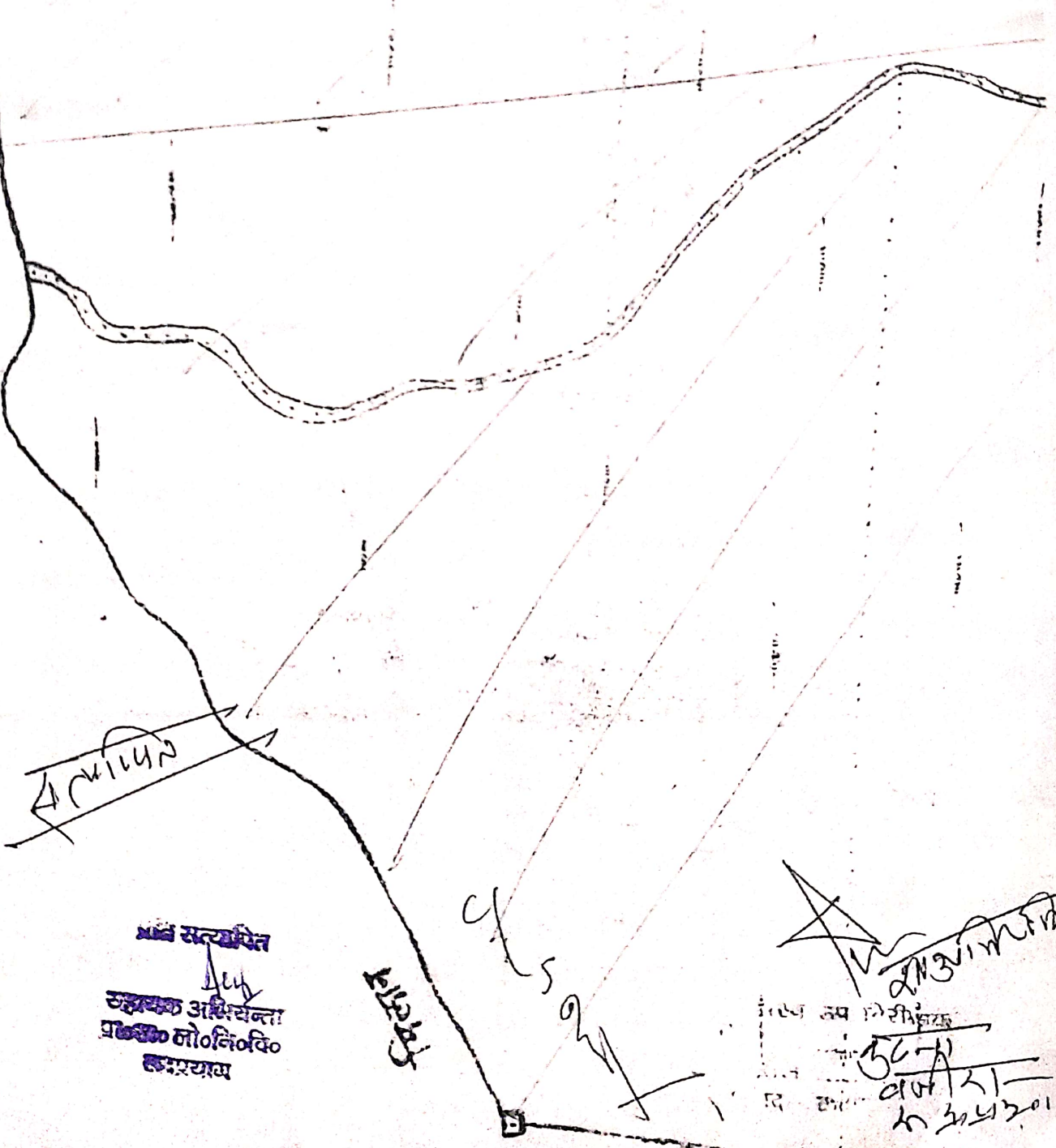
[illegible]

सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते
सत्यमेव जयते

21/12/19

23/166 के 25/08/82 के अन्तर्गत में जमा हुआ
 28 अगस्त को बंटा हुआ/करीब 10000 रुपये का बंटा हुआ

पैमाना 64 — इंच = 300 म



सत्यमेव जयते
 सत्यमेव जयते
 सत्यमेव जयते

28/08/82
 28/08/82
 28/08/82

पेज नं० 64 — इव = 9 मील

~~Amir~~

५१५
स्वायम्भूत आश्रित्यन्ता
प्राप्तो लो० नि० वि०
समायाग

प्राप्त

~~C/S~~



 20/11/2021

AC 244

नोट

न्ययनित जमि को लक्षणात
सुखी रोडवाही से प्रशस्ति की गई
है।

1/5 अक्टू

सर्वेक्षण
अभियन्ता
प्रो. लो. नि. वि.
क. म. रा. रा.

अनुरोध

344

अपरोक्ष जमि
उ. सो. के नाम दूजे कानिसे

स्व. अ. अ.

AC 2014

नोट =

न्यायनित जमि को व्यवहार
रुकी रोकावी से प्रशिक्षित की गई



1/5 Aug

मेरी 1

344

उपरोक्त जमि
उस सो के नाम से जमि का निलेख

स्व अम . राज

सहायक अधिकारी
प्रभु लोनिवि
लखनऊ